112

समक्ष माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

राजस्व ... प्रकरण क्रमांक निगरानी .... /16 ....

निग. 3447 - 2 - 16

विषय :– आदिम जनजाति सदस्य को भूमि विक्रय करने की अनुमति प्रदान करने बावत् ।

आवेदक – श्री गोपाल मेश्राम उम्र 58 वर्ष पिता श्री रामचरण मेश्राम (गौंड़)
निवासी – ग्राम खुरसी पोस्ट सगड़ा झपनी, तहसील व जिला जबलपुर ।

विरूद्ध

अनावेदक – (1) म. प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर
(2) अजीत लोधी (पटेल) पिता स्व. श्री भीकम प्रसाद लोधी
निवासी ग्राम परतला पोस्ट पड़वार, थाना खरेला तह० व जिला जबलपुर

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 के तहत् ।

1. माननीय न्यायालय कलेक्टर जबलपुर के प्रकरण क्रं. 143/अ–21/15–16 में पारित अंतरिम आदेश दिनॉक 20.09.2016 (Annexure -1) से व्यथित होकर म.प्र.भू.रा.सं. 1959 की धारा 50 के तहत यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की जा रही है ।
2. यह कि आवेदक पुनरीक्षणकर्ता श्री गोपाल मेश्राम पिता श्री रामचरण मेश्राम (गौंड़) निवासी – ग्राम खुरसी पोस्ट सगड़ा झपनी, तहसील व जिला जबलपुर द्वारा ग्राम महगवां, प.ह.नं. 87, रा.नि.मं. खम्हरिया, तह. व जिला जबलपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 424 रकवा 0.990 हेक्टे. भूमि गैर आदिवासी श्री अशोक कुमार पटेल पिता श्री तोड़ीलाल पटेल निवासी 23, म. नं. 16 पुरानी बस्ती कजरवारा तह. व जिला जबलपुर को विक्रय करने की अनुमति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनॉक 26.07.2016 (Annexure -2) म.प्र.भू.रा.सं. 1959 की धारा 165(6) के तहत् कलेक्टर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था ।

गोपाल

NOTARY MOHAMMED ASHFAQUE JABALPUR DIST. M.P. Regd. No. 7829 GOVT. OF INDIA

28 SEP 2016

राजस्व मण्डल , मध्यप्रदेश,ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3447/1/2016 जिला–जवलपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभाषको आदि के हस्ताक्षर
3-10-2016	प्रकरण का अवलोकन किया एंव उभयपक्षों के विद्धान अधिवक्ताओ द्धारा प्रस्तुत तर्को एवं आवेदक की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की आदेश पत्रिकाओं एंव अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया । यह निगरानी कलेक्टर ,जिला जवलपुर के प्रकरण कमाक 143/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 20.9.2016 से परिवेदित म0प्र0 भू–राजस्व संहिता ,1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है। 2– आवेदक की ओर से मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि वह ग्रम महगवां प.ह.नं. 87 रा.नि.मं. खम्हरिया , तहसील व जिला जवलपुर में स्थिति भूमि खसरा नं 424 रकवा 0.990है0 का भूमिस्वामी है। इस भूमि के अतिरिक्त आवेदक के स्वयं के नाम ग्रम खापाग्वारी, प0ह0न066 रा0नि0मं0 बरगी तहसील व जिला जवलपुर मे स्थित भूमि खसरा नंबर 582,581,580,579,578 रकवा कमश 0.670,हे. 0.790हे. 0.450 हे. ,0.400हे0 ,0.860 हे0 एंव ग्रम हिनोतिया प.ह.न. 82 रा.नि. मं. खम्हरिया तहसील व जिला जवलपुर में स्थित भूमि खसरा नंबर 223/2रकवा 0.200 हेक्टे. एवं ग्रम परतला प.ह.न.85 रा.नि.म. खम्हरिया तहसील व जिला जवलपुर मे स्थित भूमि खसरा नंबर 215 रकवा 0.60 हे. इस प्रकार कुल रकवा 4. 030हेक्टे, यानी 10 एकड भूमि शेष बचेगी । जो कि आवेदक एंव परिवार के भरण पोषण के लिये पर्याप्त है आवेदक द्धारा उक्त भूमि कम उपजाउ होने ,एवं शेष बच रही भूमि को उन्नत बनाने हेतु विकय करने की अनुमति हेतु अधिनस्थ न्यायालय में आवेदन दिया था ।जिस आवेदन पत्र का निराकरण न किया जाकर पेन्डिग कर दिया गया ।	

यह तर्क दिया गया है कि उनके द्वारा पूर्व में उक्त भूमि अशोक कुमार पटैल को विक्रय किये जाने का अनुबंध किया गया था परन्तु अशोक कुमार पटैल अव आर्थिक तंगी के कारण भूमि क्रय नही कर रहा है इस कारण आवेदक अव अन्य केता श्री अजीत लोधी(पटैल) पिता स्व. श्री भीकम प्रसाद लोधी को उक्त भूमि विक्रय करना चाहता है। उक्त आधारों पर उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति दिये जाने का अनुरोध किया गया ।

3– अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि कलेक्टर ने जो आदेश पारित किया गया है वह उचित है। उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नही है।

4– उभय पक्षों के तर्को पर विचार किया एंव प्रकरण का तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया । जिससे स्पस्ट होता है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक की क्रय की हुई भूमि है शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि नही है। तथा तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर भूमि विक्रय की अनुशंसा का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवेदनों में यह भी स्पस्ट उल्लेख किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि विक्रय के पश्चात आवेदक के हितों पर विपरीत प्रभाव नही पडेगा । प्रतिवेदनों में यह भी स्पस्ट किया गया है कि आवेदक को उचित बाजार मूल्य प्राप्त हो रहा है। कलेक्टर के आदेश से स्पस्ट होता है कि उन्होने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ की गई कार्यवाही को इस आधार पर पेन्डिग कर दिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी पुनः जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें परन्तु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जवलपुर द्वारा अपने प्रकरण क 77/अ–21/15–16 से जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया हैं एंव नायव तहसीलदार खम्हरिया वृत्त जवलपुर द्वारा भी अपने राजस्व प्रकरण क 26/अ–21/2015–16 आदेश दिनांक 9.9.9 से जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है पटवारी हल्का नंबर 55/87 रा.नि.म. खम्हरिया द्वारा भी अपनी जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दी गई हैं सभी जांच प्रतिवेदन अधिनस्थ न्यायालय के रिकार्ड में संलग्न है उसके उपरांत भी

पुनः अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित कर कार्यवाही को पेन्डिग कर दिया गया जो उचित एंव न्याय संगत प्रतीत नही होती है। प्रकरण में चूकि तहसीलदार एंव एस.डी.ओ द्वारा जांच उपरात आवेदक को भूमि विकय की अनुमति दिए जाने की अनुशंसा के प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये है , इस तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा किया गया जो उचित नही है। ऐसी स्थिति में उसे प्रश्नाधीन भूमि की अनुमति दिए जाने में उसके आर्थिक हितों का हनन नही होगा । दर्शित परिस्थिति में अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर जवलपुर का आलोच्य आदेश दिनांक 20.9.2016 निरस्त किया जाता है एंव आवेदक को उसके भूमि स्वामित्व की ग्रम महगवां प0ह0न0 87 रा0नि0म0 खम्हरिया तहसील व जिला जवलपुर मे स्थिति भूमि खसरा नं. 424रकवा 0.990है0 को अजीत लोधी पिता स्व. श्री भीकम प्रसाद लोधी निवासी ग्रम परतला पोस्ट पडवार थाना वरेला तहसील व जिला जवलपुर म.प्र. को विकय करने की अनुमति निम्न शर्तो के साथ प्रदान की जाती है:—

1—भूमि का कय—विकय के दस्तावेज का पंजीयन इस आदेश के तीन माह की अवधि के भीतर करना अनिवार्य है।

2—भूमि का कय —विकय पंजीयन दिनांक को प्रचलित गाईड लाईन के मान से किया जावेगा ।

3—केता द्वारा विकय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी।

सदस्य